न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मोहन लाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 54 / 2019

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
कोजाराम पुत्र मीसाराम जाति राईका निवासी भदाणा तहसील व जिला नागौर।		1 जेठाराम दत्तक पुत्र रावताराम 2 पूनाराम पुत्र हणूताराम जाति राईका निवासी भदाणा तहसील व जिला नागौर 3 शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बडौदा शाखा नागौर। 4 तहसीलदार नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री बाबूलाल खोजा अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री निम्बाराम काला अधिकवक्ता रेस्पो. संख्या 01 व 02 की ओर से।
3. श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 04 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 19.12.2022

{1}–अपीलान्ट ने यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत तहसीलदार, नागौर द्वारा बंटवारा आदेश दिनांक 30.11.2018 से असंतुष्ट होकर दिनांक 17.06.2019 को प्रस्तुत की गई है। अपीलांट की अपील दिनांक 24.06.2019 मियाद के बिन्दु पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 01 व 02 की ओर से श्री निम्बाराम काला अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट सं. 04 की ओर से श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पो. संख्या 03 बावजूद सूचना न्यायालय में अनुपस्थित रहे। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट ने अपनी अपील के समर्थन में बंटवारा आदेश 30.11.2018 की फोटोप्रति, ग्राम भदाणा की जमाबंदी संवत् 2066 से 69 की फोटोप्रति, हक तर्कनामा दिनांक 14.08.2007 की फोटोप्रति पेश की गई।

{2}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने मियाद के बिन्दु पर बहस शुरू करते हुए तर्क दिया कि जैर अपील आदेश की अपीलांट को कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने कहा कि अलग – अलग खातेदारी दर्ज हो जाने के बाद आप को खतोनी नकल देंगे तथा अपीलांट को खतोनी नकल नहीं प्राप्त हुई तथा अपीलांट ने पुनः एक दो बार पटवारी हल्का के पास जाकर खतोनी की नकल के लिए कहा था तो पटवारी हल्का ने कहा कि अभी तक नामान्तरण नहीं हुआ है होने पर दे दूंगा, फिर अपीलांट का पुत्र मूलाराम गया तो कहा कि अभी चुनाव आ गये है नकलें तैयार करने के लिए समय नहीं है चुनाव के बाद में नकलें दे दूंगा। फिर अपीलांट पुनः चुनाव के बाद गया तो पटवारी हल्का ने दिनांक 12.06.19 को खतोनी की नकल दी तो जैर अपील आदेश की सर्वप्रथम जानकारी हुई, फिर अपीलांट दिनांक 13.06.2019 को नागौर आकर जैर अपील आदेश की नकल हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया जिस पर आदेश की नकल दिनांक 13.06.2019 को शाम को प्राप्त हुई, फिर दिनांक 14.06.2019 को अधिवक्ता से सम्पर्क कर अपील तैयार करवाई, फिर दिनांक 15.06.2019 व 16.06.2019 को राजकीय अवकाश होने से अपील जानकारी के अन्दर मयाद पेश की गई। जानकारी के दिन से अपीलांट की अपील अन्दर मियाद पेश है जिससे अन्दर मियाद शुमार किया जाकर गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना न्यायोचित व न्यायसंगत है। अपीलांट ने मियाद प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है, अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रेकर्ड में निहित हक व अधिकारों व हिस्से से विपरीत जाकर बंटवारा किया गया है जो विधिविरूद्व होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(II)–वादग्रस्त भूमि में अपीलांट का 1/2 हिस्सा व रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 का 1/2 हिस्सा निहित करता है तथा अपीलांट के हक व अधिकारों व बंट में 12.03 बीघा रहती चली आई है लेकिन रेस्पोडेंट ने अपीलांट के हक व अधिकारों की भूमि को हडपने व अपने आप को नाजायज फायदा पहुंचाने की नियत से गलत बंटवाडा करवाया गया। ऐसी स्थिति में जैर अपील आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

अपर कलक्टर, नागौर

{2}(III)–बंटवाडा के लिए वंशावली बताना अति आवश्यक होता है लेकिन निर्धारित हिस्से को छिपाने के उद्देश्य से वंशावली नहीं बताई गई है, अपीलांट मिसाराम के वारीसान व उतराधिकारीगण हैं व रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 स्वर्गीय भगवानाराम के वारिसान है। मिसाराम के वारीसान का 1/2 हिस्सा व 1/2 हिस्सा भुगानाराम के वारीसान का निहित करता है तथा मिसाराम के पुत्र सोनाराम, सुखाराम ने अपना निहित हिस्सा अपीलांट के पक्ष में तर्क कर दिया गया, जिससे अपीलांट अकेले का 1/2 हिस्सा निहित हो गया। लेकिन रेस्पोडेंट संख्या 1/2 ने अपीलांट को हक व अधिकारों से वंचित रखने की गरज से व अपने नाम राजस्व रेकर्ड में निर्धारित हिस्से से अधिक भूमि अपने नाम करवाने के उद्देश्य से बिना वंशावली बताये ही अपीलांट पर छल कपट पूर्वक अंगूठा निशान करवाकर के गलत व राजस्व रेकर्ड के खिलाफ बंटवाडा करवाया गया है जो विधिविरूद्व होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(IV)–अधीनस्थ न्यायालय को निर्धारित हिस्से से कम व अधिक भूमि करने का व राजस्व रेकर्ड में निर्धारित हिस्से से भूमि को कम व ज्यादा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधिविरूद्व होने से अपास्त किये जाने योग्य है तथा अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2012(1) पेज 658 से 661 तक नजीरे पेश की।

{2}(V)–अपीलांट के भाई सोनाराम व सुखाराम ने अपना निहित हिस्सा अपीलांट के पक्ष में रजिस्टर्ड तर्कनामा के जरिये हक तर्क किया था इस प्रकार 8.02 बीघा भूमि अपीलांट के रजिस्टर्ड तर्कनामा के जरिये व 4.01 बीघा अपने हिस्से की भूमि प्राप्त हुई। इस प्रकार अपीलांट का हक व हिस्सा में कुल 12.03 बीघा रहती चली आई है तथा रजिस्टर्ड तर्कनामा को छिपाकर बंटवाडा किया गया है जबकि रजिस्टर्ड तर्कनामा से प्राप्त हुई सम्पति को रजिस्टर्ड तर्कनामा की मौजूदगी में अन्य व्यक्तियों के नाम खातेदारी घोषित करने का व बंटवाडा करने का तहसीलदार को कोई विधिक अधिकार नहीं था तथा अपीलांट के बंट में मात्र तर्क किये गये हिस्से की ही भूमि बंट में रखी गई है तथा अपीलांट स्वयं की सम्पूर्ण भमि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने अपने बंट व खातेदारी में घोषित करवा ली गई रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने अपने निर्धारित हिस्से से करीब 4 बीघा भूमि अपने बंट में अधिक रखी गई है जिससे सरकारी स्टाम्प चोरी का भी मामला बनता है। ऐसी स्थिति में भी जैर अपील आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

{2}(VI)–मौके पर कब्जा काश्त व बंट भी अपीलांट का 1/2 हिस्सा यानि खेत खसरा नम्बर 340 रकबा 14.15 बीघा में से 12.03 बीघा पूर्वी तरफ का हिस्सा अपीलांट के बंट व कब्जा काश्त में रहता चला आया है शेष 2.12 बीघा रेस्पो. के बंट व कब्जा काश्त का रहता चला आया है। लेकिन मौके व कब्जा की बिना कोई जांच किये ही मात्र रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के कहे अनुसार मात्र कागजी जांच करके बंटवाडा किया गया मौके पर आकर कब्जा बंट के संबंध में कोई जांच नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में भी जैर अपील आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

{2}(VII)–अपीलांट का अपने निहित हिस्सा यानि 12.03 बीघा भूमि पर बैंक ऑफ बडौदा शाखा नागौर से ऋण लेकर भूमि बैंक के पक्ष में रहन थी तथा बैंक भी आवश्यक व हितबद्व पक्षकार थी तथा बैंक को पक्षकार बनाया जाना व बंटवाडा से पूर्व बैंक को सुना जाना कानूनी रूप से आवश्यक था, लेकिन बैंक को बिना सुने ही बंटवाडा किया गया जो विधि विरूद्व बंटवाडा से बैंक का भी हित प्रभावित हुआ है। ऐसी स्थिति में जैर अपील आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

{2}(VIII)–बंटवाडा की लिखापढी के स्टाम्प 27.11.18 को खरीदा गया तथा जो स्टाम्प पक्षकारों के स्वयं के द्वारा खरीदा हुआ नहीं, अन्य किसी हरूराम नाम के व्यक्ति द्वारा खरीदा गया है जिस व्यक्ति को अपीलांट जानता तक नहीं है तथा जिससे स्पष्ट है कि बंटवाडा की लिखापढी की व स्टाम्प खरीदा उस समय अपीलांट मौजूद नहीं था सारी लिखापढी अपीलांट वृद्व होने से व अनपढ ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति होने से विश्वास करके अपने अंगूठा निशान कर दिये गये। ऐसी स्थिति में जैर अपील आदेश को निरस्त कर सम्पूर्ण जांच कर व अपीलांट की विधिवत् सुनवाई का अवसर देकर पुनः बंटवाडा करने का आदेश पारित किया जाना न्यायोचित है।

अपर कलक्टर, नागौर

{3}(I)–रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि यह पुश्तेनी सम्पति है। अपीलांट ने मुकदमें करने का ही काम किया है। दोनो पक्षों ने आपसी सहमति के जरिये बंटवाडा किया है। बंटवारा रजिस्टर्ड भी है। अतः अपील आधारहीन होने से खारिज की जाने योग्य है।

{4}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अद्योपान्त अध्ययन किया गया। तहसीलदार नागौर के बंटवाडा आदेश दिनांक 30.11.2018 से असंतुष्ट होकर दिनांक 17.06.2019 को प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्धारित हिस्से से कम व अधिक भूमि करने व राजस्व रेकर्ड मे निर्धारित हिस्से से भूमि को कम व ज्यादा करने मे विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर तहसील नागौर के ग्राम भदाणा का बंटवाडा आदेश दिनांक 30.11.18 अपास्त अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि इस संबध मे सभी दस्तावेज अभिलेख पर लेकर दोनो पक्षो को नोटिस देकर शहादत, सबूत एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुए विधि अनुसार गुणावगुण पर आदेश पारित करे।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल खटनावलिया)
अपर कलक्टर, नागौर
अपर कलक्टर, नागौर